



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-प.2(71)जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./2021/बैठक/डी- 850

दिनांक:- 14/09/2021

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 163वीं बैठक दिनांक 08.09.2021 को 10:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "मंथन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	-	163:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 162वीं बैठक दिनांक 19.08.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 162वीं बैठक दिनांक 19.08.2021 कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लम्बित अनुपालना रिपोर्ट पर लम्बित प्रकरणों में 07 दिवसों में पालना करने के निर्देश दिए गए।
2	3	163:2	पशुपालन विभाग गॉंधी नगर जयपुर के परिसर में निर्वाचन विभाग के ई.वी.एम स्टोर के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि पारिवारिक न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु आवंटित करवाने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर पशुपालन विभाग, जयपुर के परिसर में स्थित भूमि 2696.22 व.मी. पारिवारिक न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प. 3(55)नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में निःशुल्क आवंटन की सिफारिश करते हुए स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
3	5	163:3	खुदाबादी सोनार गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना पार्श्वनाथ कॉलोनी अजमेर रोड के भूखण्ड संख्या-31 व 44 के दक्षिण में स्थित सुविधा क्षेत्र की भूमि में से उत्तरी भाग क्षेत्रफल 870.00 वर्गगज का एण्डयूज सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक उपयोग हेतु आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना पार्श्वनाथ कॉलोनी, अजमेर रोड के भूखण्ड संख्या-31 व 44 के दक्षिण में स्थित सुविधा क्षेत्र की भूमि में से उत्तरी भाग क्षेत्रफल 870 वर्ग गज भूमि का योजना की वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प.3 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में आवंटन की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
4	10	163:4	ग्राम पंचायत चावण्ड का मण्ड को राजकीय भवनों हेतु ग्राम चावण्ड का मण्ड तह. जमवारामगढ़ के खसरा नं. 43 रकबा 1.03 है. किस्म बारानी-3 में से 7600 व. मी भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत चावण्ड का मण्ड को राजकीय भवनों हेतु ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 43 रकबा 1.03 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 में से 7600 व.मी. भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया, इस शर्त के साथ कि इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा तथा प्रकरण निःशुल्क आवंटन की अनुशंसा सहित राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

अधिकृत आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

5	12	163:5	ग्राम रोजदा, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 72 किस्म चरागाह, रकबा 11.58 हैक्टेयर भूमि में से नव सृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 1.00 हैक्टेयर भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर ग्राम रोजदा तहसील आमेर के खसरा नं0 72 किस्म चरागाह रकबा 11.58 हैक्टेयर भूमि में से 4000 व.मी. भूमि नव सृजित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजदा को निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में आवंटन की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
6	12	163:6	ग्राम बोयथावाला तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 62 कुल रकबा 0.3541 हैक्टेयर किस्म बंजड-1 भूमि में से 1900 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोयथावाला को आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम बोयथावाला तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 62 कुल रकबा 0.3541 हैक्टेयर किस्म बंजड-1 का पूर्ण रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि राजकीय विद्यालय के खेल मैदान व अन्य सुविधाओं के लिए निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में आवंटन की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
7	12	163:7	ग्राम पंचायत मण्डाभोपावास तहसील जयपुर को ग्राम मण्डाभोपावास के खसरा नम्बर 236 रकबा 5.02 हैक्टेयर में से 5 बीघा (12646.40 वर्गमीटर) भूमि पंचायत भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालय हेतु आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में ग्राम पंचायत मण्डा भोपावास, तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 236 रकबा 5.02 हैक्टेयर में से 12,000 व.मी. भूमि ग्राम पंचायत मण्डाभोपावास को पंचायत भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों के लिए आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इस शर्त के साथ कि इसका व्यावसायिक उपयोग, गैर राजकीय उपयोग, बहुमंजिला निर्माण नहीं किया जाएगा एवं निर्माण में इको फ्रेण्डली सामग्री का उपयोग किया जावेगा। प्रकरण निःशुल्क आवंटन की अनुशंसा सहित राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।
8	13	163:8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैनाडा, बस्सी को भवन निर्माण हेतु ज.वि.प्रा. की अनुमोदित योजना कल्पना नगर, आगरा रोड के जे-ब्लॉक में स्थित सुविधा क्षेत्र का भूखण्ड क्षेत्रफल 2584.3 वर्गमीटर में से 1900 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में जविप्रा की अनुमोदित योजना कल्पना नगर आगरा रोड में स्थित जे ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र का भूखण्ड क्षेत्रफल 2584.3 वर्गमीटर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैनाडा, बस्सी को भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प. 3(55) नविवि/3 /2002 पार्ट दि. 26.11.2020 के अनुसरण में आवंटन की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।


(आनन्दी लाल वैष्णव)

सदस्य सचिव एवं

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-द्वितीय/नगर-आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण-प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्कैन कर जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(आनन्द लाल वैष्णव)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 163वीं बैठक दिनांक 08.09.2021 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	LPC में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री गौरव गोयल	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्री हृदेश कुमार शर्मा	सचिव	सदस्य	
3.	श्री ओंकार मल राजोतिया	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री अजय गर्ग	निदेशक (अभियांत्रिकी-II)	सदस्य	
5.	श्री विनय कुमार दलेला	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती विनीता सिंह	अति. आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री आनन्दी लाल वैष्णव	अति. आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव	
8.	श्री आनन्दी लाल वैष्णव	अति. आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
9.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	अति. निदेशक (राजस्व) एवं विशेषाधिकारी (आरएण्डएम)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री नवल किशोर मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित	
11.	श्री बलवंत सिंह लिग्री	उपायुक्त जोन-3	विशेष आमंत्रित	
12.	श्री नानूराम सैनी	उपायुक्त जोन-5	विशेष आमंत्रित	
13.	श्री हरफूल पंकज	उपायुक्त जोन-10	विशेष आमंत्रित	
14.	श्री नरेश सिंह तंवर	उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित	
15.	सुश्री निशा	उपायुक्त जोन-13	विशेष आमंत्रित	
16.	विजेन्द्र कुमार शर्मा	DC-09	" "	
17.				
18.				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : { acipc.jda@rajasthan.gov.in, }